

UNIVERSITY LAW COLLEGE CENTRE-II
UNIVERSITY OF RAJASTHAN
J.L.N. Marg, Jaipur-302004

No. : ULCC-II/20.26./.....454...

Dated : 29/9/2026

निविदा आमंत्रण पत्र

विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय केन्द्र-2 के समस्त परिसर में वित्तीय वर्ष 2026-27 (कार्यादेश जारी होने की तिथि से मार्च, 2027) के लिए सफाई व्यवस्था के साथ-साथ कचरा उठाने के लिए एजेन्सी की सेवाएँ लेने हेतु ऑफलाइन सील बन्द एक सफाई कर्मचारी + झाड़ू, पोछे आदि सफाई सामान सहित निविदा आमंत्रित की जाती है। अतः इच्छुक फर्म/कम्पनी/निविदादाता अपनी निविदाएँ निम्न विवरणानुसार प्राचार्य, विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय केन्द्र-2 कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ?

क्र.स.	विवरण	विशेष विवरण	राशि प्रतिमाह (सभी कर सहित)
1.	महाविद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था	महाविद्यालय के समस्त परिसर की सफाई करवाने व सफाई कार्य में प्रयोग में आने वाली समस्त सामग्री सहित एवं कचरे को प्रतिदिन एकत्रित कर कचरा उठाना एवं उसका परिसर के बाहर ले जाकर उचित निस्तारण करने का कार्य	

उपरोक्त कार्य की अनुमानित लागत 78,000/- है। (जी.एस.टी. सहित)

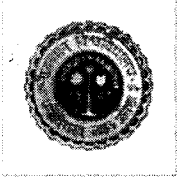
निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि :- 01.10.2026 समय:- 01:00 बजे तक

बोलियाँ खोलने की तिथि व समय :- 01.10.2026 समय:- 01:30 बजे

स्थान :- प्राचार्य, विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय केन्द्र-2 कार्यालय

प्राचार्य

विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय केन्द्र-2,
जयपुर



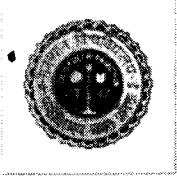
UNIVERSITY LAW COLLEGE CENTRE-II
UNIVERSITY OF RAJASTHAN
J.L.N. Marg, Jaipur-302004

No. : ULCC-II/20.2.6./.....454.....

Dated : 29/9/2026.....

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1. विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय केन्द्र-2 के समस्त परिसर (कमरों/ लेट बाथरूम/गार्डनों/पार्किंग एरिया/पोर्च/छत की सफाई व सफाई कार्य में प्रयोग में आने वाली समस्त सामग्री (झाड़ू/पोचा/फिनाईल/बाल्टी/कपडा व अन्य सामग्रीयाँ) सहित एवं कचरे को प्रतिदिन एकत्रित कर कचरा उठाना एवं उसका परिसर के बाहर ले जाकर उचित निस्तारण करने के कार्य हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जा रही है।
2. निविदा सूचना एवं वि.वि की अधिकृत वैबसाइट क्रमशः www.uniraj.ac.in, राजस्थान विश्वविद्यालय पर प्रकाशित कर दी गई है।
3. निविदादाता से अपेक्षा है कि वह निविदा जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण नियम का शर्तें का भली-भांति अध्ययन कर ले तथा विधि महाविद्यालय केन्द्र-2 के समस्त परिसर, इत्यादि सम्पूर्ण जगहों को निरीक्षण कर ले। इस संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना में अंकित दिनांक तक प्राचार्य, विधि महाविद्यालय केन्द्र-2 कार्यालय समय से सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि महाविद्यालय किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है।
4. निविदादाता पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय समस्त वांछित प्रपत्रों के साथ पर निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय में जमा करवाये। तथा निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. विधि महाविद्यालय केन्द्र-2 द्वारा प्राप्त निविदाओं को, निविदा सूचना में दर्शाये गए समय एवं दिनांक को उपापन समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निविदादाताओं की वित्तीय निविदाये संबंधित फर्मों के उपस्थिति प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। इस हेतु दिनांक, समय एवं स्थान के लिये निविदादाताओं को पृथक से सूचित कर दिया जाएगा।
6. शेष शर्तें नियम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 के अनुसार स्वतः ही मान्य होंगे। संबंधित कार्य हेतु औजार तथा ट्रेक्टर ट्राली अपने स्वयं के खर्च पर लाने होंगे। इसके लिये कोई शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
7. सफाई के दौरान एकत्रित कचरा (गीला एवं सूखा), टहनियों व घासफूस/झाडियों निर्देशानुसार स्थानों पर एकत्रित कर बाहर ले जानी होगी।
8. प्राचार्य, विधि महाविद्यालय केन्द्र-2 को किसी भी निविदा को, पूर्ण अथवा भाग को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विमर्श नहीं किया जायेगा।
9. ठेका कार्यादेश जारी होने की दिनांक से मार्च, 2027 तक (वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु) के लिये दिया जायेगा यदि उक्त अवधि में वृद्धि/कमी की जानी होगी तो सक्षम स्तर पर स्वीकृति एवं आपसी सहमति के पश्चात् ही निर्णय लिया जावेगा।
10. श्रमिकों के सम्भावित दुर्घटना एवं किसी भी हानि के लिये ठेकेदार/फर्म स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. निविदा प्रपत्र में बतायी गयी शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
12. निविदादाता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
13. कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन के निर्णय अनुसार फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में से बिल की 10 प्रतिशत तक जुर्माना राशि कटौती की जा सकेगी फर्म के कार्य से महाविद्यालय प्रशासन के संतुष्ट न होने की स्थिति में बकाया बिलों की राशि तथा सवेदक का



UNIVERSITY LAW COLLEGE CENTRE-II
UNIVERSITY OF RAJASTHAN
J.L.N. Marg, Jaipur-302004

No. : ULCC-II/20.26.../454.....

Dated : 29/9/2026

कार्यादेश निरस्त किया जा सकता है। संवेदक के द्वारा नियुक्त समस्त श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान करने का दायित्व संवेदक का होगा।

14. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा तथा बाल श्रमिक कानूनों की पालना संवेदक को करना अनिवार्य है।
15. सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी।
16. समस्त दरें निर्धारित प्रफोर्मा (वित्त बिड) में अंकित करनी होगी।

क्रम संख्या 1 से 16 तक से सभी शर्तें मुझे/हमें स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदाकार

पता.....

मो./दूरभाष नं.....